न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 52/2021

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना आरजीटी रावली नाडी नगर जिला बाड़मेर		श्री बुधाराम पुत्र ठाकराराम जाति जाट निवासी हुडों का तला अणखिया पुलिस थाना आरजीटी रावली नाडी नगर जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 21.03.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 22.09.2021 को सीओ गुडामालानी द्वारा पुलिस थाना आरजीटी रावली नाडी नगर जिला बाड़मेर में रिपोर्ट पेश की गई कि दिनांक 21.09.2021 को श्री मोहनलाल हैड कानि 896 पुलिस थाना आरजीटी रावली नाडी नगर ने जरिये टेलीफोन अवगत कराने पर मेगा हाईवे पर जालीखेडा गोलाई की होटल में एक ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर जिसके साइड में N-K-ENTERPRISES लिखा हुआ [illegible] पाया गया। पुलिस पार्टी को देखकर एक शख्स बबूल [illegible] जिसकी पहचान नहीं हो सकी। उक्त जब्तशुदा ट्रेक्टर के पीछे लगने वाले टैंकर में 110[illegible]र अवैध डीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। उक्त टैंकर में पीछे डीजल

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

डालने की नोजल मय इलेक्ट्रोनिक मीटर लगा हुआ था। इस पर प्रार्थी थानाधिकारी द्वारा मौके पर पहुंच कर नोजल को चैक किया तो उसमें पेट्रोलियम पदार्थ जैसी सुगंध आ रही थी। उक्त वाहन के अन्दर पेट्रोलियम जैसा पदार्थ भरकर परिवहन व बेचान करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज या लाईसेंस भी नहीं होना पाया गया। उक्त ट्रेक्टर के पीछे लगने वाले टैंकर में से 750 एमएल कांच की बोतल में नमूना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण लिया जाकर सील चेपा किया गया तथा उसी अनुसार उक्त टैंकर में से एक अन्य कंट्रोल सैम्पल भी लिया जाकर सीलबंद किया गया। टैंकर को चैक किया और टैंकर में डीजल डालने की नोजल इलेक्ट्रोनिक मीटर सहित सीलबंद हालत में टैंकर को जब्त किया गया। उक्तानुसार सीओ गुडामालानी की रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 113 दिनांक 22.09.2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर व अवैध बायोडीजल के संबंध में मेगा हाईवे, होटल–ढाबों से अज्ञात मुलजिम को नामजद कर मुलजिम बुधाराम को दस्तयाब कर बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में सम्पन्न अनुसंधान, बरामदगी अवैध पेट्रोलियम पदार्थ, परिवहन में प्रयुक्त ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर, बयान गवाहान, घटनास्थल निरीक्षण, एफएसएल कागजात, रोड सर्टिफिकेट, पूछताछ मुलजिम, मुलजिम द्वारा प्रदत्त धारा 27 की इत्तला व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम बुधाराम पुत्र ठाकराराम जाति जाट उम्र 25 साल पेशा ड्राइवरिंग निवासी हुडों की ढाणी पुलिस थाना आरजीटी रावली नाडी नगर जिला बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और [illegible] निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने [illegible] 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी [illegible] के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 1100 लीटर बायोडीजल

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

व जब्तशुदा वाहन ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई कर प्रस्तुत अभिलेखों एवं रिपोर्ट के आधार पर अंतिम बहस सुनी गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम बुधाराम पुत्र ठाकराराम जाति जाट उम्र 25 साल पेशा ड्राइवरिंग निवासी हुडों की ढाणी पुलिस थाना आरजीटी रावली नाडी नगर जिला बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नही किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 1100 लीटर बायोडीजल व जब्तशुदा ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन जारी किये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये 1100 लीटर बायोडीजल व जब्तशुदा ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

थानाधिकारी पुलिस थाना आरजीटी रावली नाडी नगर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात किये गये 1100 लीटर बायोडीजल व जब्तशुदा ट्रेक्टर के पीछे लगने वाला टैंकर का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना आरजीटी रावली नाडी नगर को पालना एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:27 IST
Reason: SelfAttested